(4)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.)
==

राजस्व पुनरीक्षण कृमांक /2018 निगरानी - 2630/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

डॉ. राजेन्द्र कुमार जैन, आत्मज स्व. श्री शिखरचन्द जैन, निवासी कंचन भवन किले का मैदान टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) पुनरीक्षणकर्ता/

बनाम .

1. रमजान खां, राजस्व निरीक्षक मंडल टीकमगढ़, निवासी तहसील प्रांगण टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म. प्र.)

2. कुवंरलाल यादव आत्मज श्री बलू यादव, निवासी- ग्राम पहाड़ीखुर्द तहसील जिला टीकमगढ़ (म. प्र.)

----- प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

श्री एस० पी० भटनागर
द्वारा आज दि. 28-4-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 10-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक रमजानखां के प्रकरण कृमांक 36/अ-12 /2017-18 में पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 24-1-2018 के विरूद्ध एवं से व्यथित होने के कारण :-

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

महोदय,

प्रार्थी/पुनरीक्षण कर्ता प्रस्तुत पुनरीक्षण के माध्यम से सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

(1) यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल टीकमगढ़ के प्रकरण कृं. 36/अ-12/ 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24-1-18 विधि-विधान, वाक्यात् एवं पत्रावली के के सर्वथा विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य न होकर निरस्ती योग्य है ।

(2) यह कि पुनरीक्षणकर्ता की कृषिभूमि खसरा नंबर 206/13/1 के रकवा 0. 505 हेक्टेयर ग्राम पहाड़ीखुर्द में स्थित हैं तथा इसी भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिपुनरीक्षण कर्ता कृं. 2 की कृषिभूमि ख. नं. 206/12/2 के रकवा 0. 608 हेक्टे. भूमि स्थित है ।

(3) यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी कृषिभूमि ख. नं. 206/13/1 का सीमाकंन अन्य खसरा नंबरों के साथ कराने हेतु तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन दिया था जो प्रकरण कृमांक 98/अ-12/2006-07 पर दर्ज हुआ । सीमांकन भूअभिलेख कलेक्ट्रेट शाखा टीकमगढ़ के सहायक अधीक्षक भूअभिलेख टीकमगढ़ ने दिनांक 2-09-06 को उक्त सीमाकंन किया, इस सीमाकंन में 0. 10डेसीमल पर ख. नं. 206/13/1 में प्रतिपुनरीक्षणकर्ता कृं. 2 का अवैध, अनाधिकृत गैरकानूनी कब्जा पाया । उक्त सीमांकन को दिनांक 29-9-07 को तहसीलदार टीकमगढ़ ने स्वीकृत भी कर दिया था जिस आदेश की प्रति योजित की

--2--

R 2630/2018 टीकमगढ़
डा. राजेन्द्रकुमार / रणजीत सिंह

7-6-18

आवेदक अभि. श्री एम. पी. भटनागर उप. / प्रकरण में कायमी हेतु / आदेश

C/F- 5-7-18

5-7-18

आवेदक अभि. श्री एम० पी० भटनागर उप० उन्होंने तर्क हेतु समय चाहा। स्वीकार प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु

पे 8-8-18

सदस्य 5/7

8|8|18

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम0पी0 भटनागर उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया।

2/ यह निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल तह0 टीकमगढ के प्र. क्र. 36/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तगत प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत सीमांकन की पुष्टि की है। आवेदक को विधिवत सूचना जारी की गई थी और उसकी ओर से आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिसका निराकरण पूर्व में ही हो चुका है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन) 8|8|18
सदस्य